# संघर्ष संवाद

सितम्बर 2013 नई दिल्ली

ओड़िसा के नियमगिरि पहाड़ी पर बसे डोंगरिया, कोंध आदिवासियों ने अपने सात साल के लम्बे संघर्ष के बाद आख़िरकार ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता की 40,000 हजार करोड़ की बॉक्साइट खनन परियोजना को खारिज कर दिया है। उन्हें यह हक मिल सका सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर, ओडिशा के कालाहांडी और रायगड़ा जिले की कुल 12 पल्ली सभाओं यानी ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया था कि वे इस परियोजना के पक्ष या विपक्ष में प्रस्ताव पास करें। एक-एक कर इन सभी ग्राम सभाओं ने इसे खारिज कर दिया। 19 अगस्त 2013 को रायगड़ा की अंतिम ग्रामसभा जरपा ने भी अपना फैसला सुना दिया। ओड़िसा के सुदूर घने जंगलों में हो रहे इस बदलाव की आहट आने वाले समय में दूर तक सुनाई देगी।

जनांदोलनों की ऐसी ही गूँज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है. तमिलनाडु में कुडनकूलम; उडीसा में पास्को, वेदांता; उत्तरप्रदेश में गंगा एक्सप्रेस; हिमाचल प्रदेश में जल विधुत परियोजना; राजस्थान में नवलगढ़ में बिड़ला- बांगड़ के सीमेंट प्लांट, बांसवाडा में आधा दर्जन सुपर क्रिस्तील थर्मल पावर प्लांट; मध्य प्रदेश में चुटका, अडानी थर्मल प्लांट, पेंच बांध; छत्तीसगढ़ में दैनिक भास्कर का थर्मल प्लांट - भारत में विकास के नाम पर जारी संसाधनों की विनाशकारी लूट के खिलाफ चल रहे संघर्षो की यह सूची बहुत लम्बी है। सरकार भले ही नासमझ बनने की नौटकी करती हो कि कोई विनाश नहीं हो रहा है; परन्तु लोग बखूबी समझते हैं भूमि की लूट हो रही है ।

बहरहाल, सरकार ने उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अधिकार विधेयक 2013 के नाम से नया भूमि कानून पास कर दिया है। अब देखना यह है कि यह कानून भूमि की लूट को रोकने में कितना कारगर हो पाता है. क्योंकि इस क़ानून में भी सार्वजनिक हित के नाम पर बांधों, उद्योगों, सिंचाई परियोजनाओं और परमाणु बिजलीघरों के लिए जमीन जबरदस्ती अधिग्रहीत की जा सकती है.

देश में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लेकिन जनता से जुड़े ये ज़रूरी मुद्दे मुख्यधारा के राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं बन पा रहे. ऐसे में, जुझारू जनसंघर्ष और विभिन्न जनांदोलनों को एक सूत्र में जोड़ने का काम ही महत्वपूर्ण है. आन्दोलन अपने अनुभवों के आधार पर अपना विस्तार करेंगे और एक दूसरे से जनाधिकार से जुड़े मुद्दों और राज्य-दमन की कारवाईयों के खिलाफ एकजुटता कायम करेंगे।

**ओड़िसा**

- नियामगिरि: ग्राम सभाओं ने वेदांता को खारिज किया
- नियामगिरि की जंग : कोरपोरेट और राज्य सत्ता को क़डी टक्कर

**झारखंड**

- डिमना बांध : टाटा के विरोध में विस्थापितों का संघर्ष तेज
- रद्द हों जिंदल व भूषण स्टील के एमओयू

**मध्य प्रदेश**

- महान जंगल पर लागू हो वनाधिकार कानून: महान संघर्ष समिति
- चुटका : घुप्प अंधियारे में रोशनी का खेल
- चुटका : परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की जीत
- परमाणु ऊर्जा पर भारतीय जन-घोषणापत्र
- जल सत्याग्रह : ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन

**राजस्थान**

- नवलगढ़ : किसानों का फैसला, हम ज़मीन नहीं देंगे

**उत्तराखंड**

- उत्तराखंड : विकास ने लिखी बर्बादी की दास्तान

**गुजरात**

- गुजरात में परमाणु प्लांट के खिलाफ उठी आवाज

# <u>ओड़िसा</u>

## नियामगिरि: ग्राम सभाओं ने वेदांता को खारिज किया

**ओड़िसा** के रायगडा ज़िले के जरपा में **19 अगस्त 2013** को हुई12वीं ग्राम सभा की बैठक ने भी नियामगिरि पर्वत में बॉक्साइट के खनन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से ख़ारिज कर दिया है. अब तक बारह ग्राम सभाओं की बैठके हुई है. सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया। यहां वेदांता कंपनी अपने प्लांट के लिए खनन करना चाहती थी.

**नियामगिरि** सुरक्षा समिति के कुमटी माझी कहते है कि सभी ग्राम सभाओं ने वेदांता को नकार दिया हैं इसलिए सरकार को नियामगिरि में बॉक्साइट खनन का इरादा छोड़ देना चाहिए."

**ग़ौरतलब** है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल के अपने एक फ़ैसले में आदिवासियों के' पवित्र पर्वत 'पर खुदाई की इजाज़त दिए जाने या नकारने का निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने नियामगिरि के इर्दगिर्द बसे रायगडा और कालाहांडी ज़िलों के 12 गावों में ग्राम सभा गठन की घोषणा की ,नियामगिरि सुरक्षा समिति ने आरोप लगाया कि पर्वत के आसपास 100से भी अधिक गाँव होने के बावजूद ओडिशा सरकार ने केवल 12 गाँव में ग्राम सभा कराने का निर्णय लेकर वेदांत के लिए रास्ता आसान करने की कोशिश की. परन्तु हमने सरकार की इन कोशिषों को सफ़ल नहीं होने दिया.

**इस परियोजना** के भविष्य का फैसला करने के लिए 18जुलाई 2013 को 12 ग्राम सभाओं की श्रृंखला में से हुई पहली ग्राम सभा में हिस्सा लेने के लिए आए 46 मतदाताओं में से 38 ने हाथ उठाकर अपनी राय

जाहिर की। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने एकराय होकर कहा' ,इस गांव का एक भी डोंगरिया कोंध नियमगिरि पहाडि़यों पर बॉक्साइट खनन का साथ नहीं देगा। इससे पहले सभा में मौजूद करीब 20 डोंगरिया कोंध लोगों ने मौका मिलने पर अपने अधिकारों की हिफाजत की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि हम नियमगिरि पहाडि़यां किसी के हवाले नहीं करेंगे चाहे वह कंपनी हो या सरकार या कोई आदमी। नियमगिरि की पहाडि़यां हमें सिर ढकने को छत देती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं और हमारी रोजी-रोटी भी इन्हीं से चलती है। इसलिए हम अपने अधिकारों की खातिर लड़ रहे हैं।

**22 जुलाई** **2013** को ओडिशा के रायगदा जिले में मुनीगुदा प्रखंड के केसरपड़ी गांव में इस मसले को लेकर दूसरी ग्राम सभा का आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर 36 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था लेकिन भारी बारिश के चलते इसमें से 33 पहुंच सके जिसमें से 23 महिलाएं भी शामिल थीं। भारी बारिश के बीच करीब 40 मिनट तक चली बैठक में सर्वसम्मति से खनन परियोजना का विरोध करने का फैसला किया गया। गांव के एक आदिवासी डुंडु कुत्रुका ने कहा कि नियमगिरि पहाड़ी की श्रृंखला हमारा संसाधन है और नियाम राजा हमारा भगवान। वर्षों से इस पहाड़ी से हमें भोजन-पानी मिलता रहा है और इसी से हमारा जीवन-यापन चलता है। हम इसे छोड़ कर नहीं जा सकते।

**23 जुलाई** **2013** को ताड़ीझोला गांव में इस मसले को लेकर तीसरी ग्राम सभा का आयोजित की गई। ताड़ीझोला गांव भी नियमगिरि के तलहटी में स्थित है और यहां मुख्य रूप से दुधिया (मिल्कमैन) समुदाय के लोग रहते हैं। गांव के 22 योग्य मतदाताओं में से 19 लोगों ने ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें 12 महिलाएं एवं 7 पुरुष शामिल थे। भारी बारिश के बीच ग्राम सभा की बैठक चली और सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**24 जुलाई** **2013** को ओडिशा के कालाहांडी जिले के कुनाकेड़ा गांव में इस मसले को लेकर चौथी ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर 22 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था, इसमें से 21लोग पहुंचे, जिसमें से 10 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**25 जुलाई** **2013** को कालाहांडी जिले के तालबेरी गांव में इस मसले को लेकर पांचवीं ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर 15 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था, इसमें से 14 लोग पहुंचे, जिसमें से 7 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**27 जुलाई** **2013** को रायगढ़ जिले के बतुड़ी गांव में इस मसले को लेकर छठी ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर 40 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था ,इसमें से 31 लोग पहुंचे, सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**29 जुलाई** **2013** को कालाहांडी जिले के फुलडोमेर गांव में इस मसले को लेकर सातवीं ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर 65 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था, इसमें से 49 लोग पहुंचे, जिसमें से 32 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**30 जुलाई** **2013** को रायगडा जिले के इजिरुपा गांव में इस मसले को लेकर आठवीं ग्राम सभा आयोजित की गई। इजिरुपा वह गांव है, जहां से नियमगिरि का शिखर महज डेढ़ किलोमीटर दूर है। इस गांव में एक ही परिवार है। इस परिवार में चार लोग हैं। और इससे बड़ी विडम्बना क्या कहेंगे कि चार लोगों के इस इकलौते परिवार वाले गांव में भी वेदांता के प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार ने पल्लीसभा रखी थी। फुलडोमेर के बाद आठवीं पल्लीसभा यहीं हुई थी और चार वोटरों वाले इस गांव ने कंपनी को खारिज कर दिया था।

**1 अगस्त** **2013** को लम्बा गांव में इस मसले को लेकर नौवीं ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर अपना मत देने के लिए 38 लोग पहुंचे। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**8 अगस्त** **2013** को लाखपादर गांव में इस मसले को लेकर दसवीं ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा

में इस मसले पर 97 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था, जिसमें से 58 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**13 अगस्त** 2013 को खाम्बेसी गांव में इस मसले को लेकर ग्यारहवीं ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में इस मसले पर 72 लोगों को अपना मत देने का अधिकार था, इसमें से 50 लोग पहुंचे, जिसमें से 37 महिलाएं थी। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

**19 अगस्त** 2013 को जरपा गांव में इस मसले को लेकर बारहवीं ग्राम सभा आयोजित की गई. ग्राम सभा में इस मसले पर अपना मत देने के लिए 12 लोग पहुंचे। जिसमें से6 महिलाएं थी। सभी ने परियोजना लगाने के खिलाफ मतदान किया।

नियमगिरि सुरक्षा समिति के सत्या महार ने बताया कि बैठक स्थलों पर पुलिस की तगड़ी उपस्थति के बावजूद सदस्यों ने खुलकर अपना विरोध जताया और स्पष्ट किया की वे मरते दम तक नियामगिरि में खनन का विरोध करते रहेंगे.

हालाँकि राज्य सरकार और वेदांता दोनों ही ग्राम सभाओं की बैठकों के बारे में प्रतिक्रिया देने से कतरा रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि नियामगिरि में विरोध के चलते कालाहांडी ज़िले के लांजिगढ़ में वेदांत द्वारा लगाई गई एक मिलियन टन की रिफ़ाइनरी लगभग एक साल से बंद पड़ी है.

## नियामगिरि की जंग : कोरपोरेट और राज्य सत्त्ता को क़डी टक्कर

*कल तक आधुनिक सभ्यता की चिंताओं से दूर ओड़िशा की नियमगिरि पहाड़ी और यहां निवास करनेवाले डोंगरिया कोंध आदिवासी आज भारत ही नहीं ,दुनियाभर में चर्चा के केंद्र में हैं. नियमगिरि पहाड़ी पर ब्रिटेन की वेदांता कंपनी की खनन परियोजना के खिलाफ डोंगरिया आदिवासियों के संघर्ष और उसमें मिली जीत को पूरी दुनिया हैरत से देख रही है. डोंगरिया कोंध आदिवासियों के जीवन ,उनके संघर्ष को संजीदगी से देखने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक श्रीवास्तव, जो उस आखिरी ग्रामसभा के प्रत्यक्षदर्शी थे ,जिसमें डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने एक स्वर में वेदांता की खनन परियोजना को खारिज कर दिया.*

सोमवार 19 अगस्त, 2013 का दिन उस गांव के लिए शायद उसके अब तक के इतिहास में सबसे खास था. आंध्र प्रदेश की सीमा से लगने वाले ओड़िशा के आखिरी जिले रायगढ़ा से 60 किलोमीटर उत्तर में नियमगिरि के जंगलों के बीच ऊंघता सा गांव जरपा- जो पहली बार एक साथ करीब पांच सौ से ज्यादा मेहमानों के स्वागत के लिए रात से ही जगा था. सबसे पहले आये कुछ आदिवासी कार्यकर्ता और उनकी सांस्कृतिक टीम. फिर दो-चार पत्रकार और कैमरामैन. और पीछे-पीछे सीआरपीएफ के जवानों की भारी कतार. एक के बाद एक इनसास राइफलों से लेकर क्लाशनिकोव और मोर्टार व लॉन्चर कंधे पर लादे हुए, गोया कोई सैन्य ऑपरेशन शुरू होने जा रहा हो. घने जंगलों के बीच झाड़ियों में इन जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली थी. ओड़िशा पुलिस अलग से आबादी के बीच घुली-मिली सब पर निगाह रखे हुए थी. सरकार द्वारा तैनात ठिगने कद का एक जिला न्यायाधीश प्लास्टिक की कुर्सी पर टिका था और उसके कारकुन आगे के आयोजन के लिए तंबू गाड़ रहे थे. टीवी कैमरे डोंगरिया कोंध के विचित्र चेहरों और साज-सज्जा को कैद करने में चौतरफा दौड़ रहे थे जबकि नौजवान आदिवासी लड़कियां बची-खुची खाली कोठरियों में अपना मुंह छुपा रही थीं. यह ‘जरपा लाइव’ था, फिल्म से कहीं बड़ा यथार्थ और फिल्म से भी ज्यादा नाटकीय. और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा था?

एक विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, जिसे यहां के जंगल चाहिए, पहाड़ चाहिए और उनके भीतर बरसों से दबा हुआ करोड़ों टन बॉक्साइट चाहिए.

वेदांता- यह नाम सुनते ही नियमगिरि पर्वत में रहने वाले दस हजार डोंगरिया, झरनिया और कुटिया कोंध आदिवासी अपनी 'ट्रेडमार्क' टांगिया (कुल्हाड़ी) चमकाने लगते हैं. शायद पीढ़ियों के अपने अस्तित्व में इन डोंगरिया कोंध आदिवासियों ने अनास्था के पर्याय के तौर पर कोई इकलौता शब्द चुना है तो वो है वेदांता. इस दुश्मन से विरोध जताने के लिए और हमखयालों की पहचान के लिए इनकी 'कुई' भाषा को पिछले कुछ वर्षों में एक और शब्द मिला है – 'जिंदाबान' (ये जिंदाबाद नहीं बोलते). कुल मिलाकर मामला ये है कि लंदन की कंपनी वेदांता को यहां से कुछ किलोमीटर नीचे लांजीगढ़ में अपनी एल्युमीनियम रिफाइनरी चलानी है जिसके लिए बॉक्साइट उसे नियमगिरि के पहाड़ों से निकालना है.

नियमगिरि की श्रृंखला कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर और रायगढ़ा नाम के निर्धनतम जिलों को पालती है. इससे यहां के लोगों को पानी मिलता है, फल-फूल मिलते हैं, लकड़ी, वनोत्पाद, धान, मक्का, औषधियां सब कुछ मिलता है. खेतों की कुदरती सिंचाई जिस तरह यहां के पहाड़ों से होती है, ऐसा उदाहरण शायद देश में कहीं और न मिले. इन पहाड़ों को आज तक किसी ने नहीं छुआ. ये अपने अस्तित्व के पूरेपन में बिल्कुल अक्षत रूप में यहां खड़े हैं. यहां जिंदगी बेरोकटोक अपनी गति से ठीकठाक चलती रही है, बावजूद इसके कि मुख्यधारा के समाज की तुलना में इसे हमेशा से सबसे गरीब कहा जाता रहा. कभी सरकार ने केबीके (कोरापुट, कालाहांडी, बोलांगीर) प्रोजेक्ट चलाया तो कभी इंटिग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ने अपने पैर पसारे, लेकिन इन सब योजनाओं की परिणति दरअसल आज 'वेदांता बनाम नियमगिरि के' इकलौते संघर्ष में आकर सिमट गयी है.

यह संघर्ष जितना अंतरराष्ट्रीय है उतना ही ज्यादा स्थानीय भी है. एक ओर समरेंद्र दास नाम के

एक्टिविस्ट हैं जो लंदन में नियमगिरि के आदिवासियों की आवाज को लगातार उठाते रहे हैं, तो दूसरी ओर रायगढ़ा जिले के मेकेनिकल इंजीनियर राजशेखर हैं जिन्हें नियमगिरि के आदिवासियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सिवाय इसके कि यहां वेदांता का एक प्लांट लगाया जाना है और इसी से इस क्षेत्र के विकास की राह निकलनी है. रायगढ़ा के लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 40,000 करोड़ रुपये के इस निवेश के खिलाफ महज 112 गांवों के आदिवासियों की आवाज इतनी अहम क्यों है. कभी आंध्र के पड़ोसी कस्बे पार्वतीपुरम से उजड़ कर रायगढ़ा में बसे और अब जयपुर की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी कर रहे 26 साल के युवा इंजीनियर राजशेखर कहते हैं, 'शहर में कोई इस बारे में बात नहीं करता. सब चाहते हैं कि बस कंपनी का काम शुरू हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. वैसे भी, वेदांता ने कितना सामाजिक काम इस इलाके में किया है. पता नहीं आदिवासियों को क्या दिक्कत है इससे?' राजशेखर जिस सामाजिक काम का हवाला दे रहे हैं, वह वेदांता के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का हिस्सा है, जिसके तहत प्रोजेक्ट एरिया लांजीगढ़ में डीएवी वेदांता पब्लिक स्कूल, वेदांता अस्पताल और ऐसे ही कई काम शुरू किये गये हैं. करीब से देखने पर हालांकि सच्चाई कुछ और जान पड़ती है.

वेदांता के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या तो उसके कर्मचारियों के हैं या फिर उन गैर-आदिवासियों के, जो कंपनी के ठेके-पट्टे पाकर लाभार्थी की श्रेणी में

आ गये हैं. वेदांता के अस्पताल के बारे में स्थानीय आदिवासी नेता कुमटी मांझी बताते हैं, 'यहां जाने से आदिवासी को डर लगता है.' अस्पताल बाहर से देखने पर सुनसान और उजाड़ दिखता है. सिर्फ एक सिक्योरिटी वाला तैनात है, न तो मरीज और न ही डॉक्टर. लांजीगढ़ के बाजार में ईंटों का एक परिसर है जिस पर वेदांता मार्केट कॉम्प्लेक्स खुदा हुआ है. यह जगह खाली और गंदी है. भीतर मुर्गियों का बसेरा है. दरअसल, पहाड़ों में खनन के लिए जिन्हें उजाड़ा जाना है, उनके लिए वेदांता के पास कोई योजना नहीं. जिन्हें वेदांता के आने से लाभ मिला है, उनके उजड़ने का कोई सवाल न पहले था और न ही आज है. लांजीगढ़ में प्रवेश करते ही आप अचानक चमचमाती नई मोटरसाइकिलों की भारी संख्या और उस पर बैठे आत्मविश्वासी नौजवानों को देख कर हतप्रभ रह जायेंगे. यह नजारा दस किलोमीटर पीछे तक नहीं था. वहां सिर्फ साइकिलें थीं और कंधे पर टांगियां लटकाये ग्रामीण आदिवासी. यह फर्क नियमगिरि की तलहटी में बसे राजुलगुड़ा गांव से लांजीगढ़ के बीच 20 किलोमीटर के सफर में बिल्कुल साफ दिखता है. लंबे समय तक गरीबी डोलने और वेदांता के आने से अचानक पैदा हुई विकास की आकांक्षा ने यहां के लोगों में एक मानसिक फांक पैदा कर दी है. नियमगिरि की तलहटी में बसे पात्रगुड़ा गांव के निवासी और साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाले सूरत के शब्दों में इसे आसानी से समझा जा सकता है, 'नियमगिरि के जाने का दुख हमें भी है. यह हमारी मां है. लेकिन क्या करें. कंपनी खुलेगी तो ज्यादा साइकिल पंचर होगी, ज्यादा धंधा आयेगा.'

इस बयान में कितनी संवेदना है और कितनी चालाकी, इसे समझने में शायद वक्त लगे. बहरहाल, 19 अगस्त की पल्लीसभा का नतीजा इस देश में विकास को लेकर लोकल बनाम ग्लोबल की बहस में एक नयी लकीर खींच रहा है. जरपा गांव के कुल सात परिवारों के 12 वोटरों ने वेदांता के प्रोजेक्ट को जिला जज एससी मिश्र और सैकड़ों सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में सिरे से खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल में आये निर्देश पर 112 गांवों की राय प्रोजेक्ट पर ली जानी थी. राज्य सरकार ने आदिवासी मंत्रलय और कानून मंत्रलय को ठेंगा दिखाते हुए वेदांता के जमा किये हुए हलफनामे के मुताबिक सबसे कम आबादी वाले सिर्फ 12 गांव इसलिए चुने थे कि उन्हें प्रभावित किया जा सके और फैसला कंपनी के पक्ष में करवाया जा सके. खुद आदिवासी मामलों के मंत्री किशोरचंद्र देव ने अपने साक्षात्कार में इस पर रोष जताया है. लेकिन सच्चाई किसी भी हेरफेर की मोहताज नहीं होती. पासा उलटा पड़ा. वेदांता को 12-0 से हार का मुंह देखना पड़ा है.

फिलहाल तो सारी मोर्टारें और सारे लॉन्चर एक सहज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने ध्वस्त होते दिख रहे हैं. जरपा में उत्सव का माहौल है. पल्लीसभा के बाद से ही आदिवासियों के नियम राजा बरसे जा रहे हैं और फिसलन भरी घाटियों में उत्सव के नगाड़े गूंज रहे हैं. डोंगरिया जानते हैं कि यह जीत अधूरी है. यह महज एक पड़ाव है. जरूरी नहीं कि वेदांता चला जाये. मामला अरबों के निवेश का है. नियमगिरि सुरक्षा समिति के नेता लिंगराज आजाद इसीलिए कहते हैं, 'नियमगिरि को छूने के लिए कंपनी को हजारों लोगों का कत्ल करना होगा और हम अपने देवता, अपनी मां को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे.' जवाब में सैकड़ों चमकदार कुल्हाड़ियां हरे-भरे अकाल को चीरते हुए हवा में लहरा उठती हैं और सबके मुंह से एक ही स्वर फूटता है, 'नियमगिरि जिंदाबान'.

*(अभिषेक श्रीवास्तव का यह आलेख 'प्रभात खबर में भी प्रकाशित हुआ है)*

<u>**झारखंड**</u>

## डिमना बांध : टाटा के विरोध में विस्थापितों का संघर्ष तेज

***डिमना डेम के पहले यहाँ 12 गाँव हुआ करते थे। जो आज भी हैं बसे हैं पर दुसरी जगह पर । आज जिस तरह से लोग विस्थापन के विरोध में उठ खड़े हो रहे हैं और नारे लगा रहे हैं की "जान देंगे जमीन, जमीन नहीं देंगे।" पहले इस तरह का कुछ नहीं होता था एक शाही फरमान निकलता था और लोगों को भारी मन से आपने माँ-माटी को छोड़ना पड़ता था। नजराना स्वरूप जो मिला कबूल करना होता था। कुमार दिलीप की रेपोर्ट;***

जमशेदपुर के पास डिमना बांध के विस्थापितों ने अपनी मांगों के समाधान के लिये झारखंड मुक्ति वाहिनी एवं विभिन्न ग्राम सभाओं बैनर तले पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय के समक्ष 23 जुलाई 2013 को एक दिवसीय धरना दिया। उपायुक्त की अनुपस्थिति में ए.डी.एम. को 11 सूत्री मांग पत्र सौपा गया। ए.डी.एम. ने आश्वाशन दिया कि उपायुक्त से परामर्श के बाद शीघ्र ही एक निर्णायक बैठक की जायेगी। ए.डी.एम. ने दूरभाष से अनुमंडलाधिकारी, धालभुम से संपर्क किये और अब तक की प्रगति की रिपोर्ट ली। उन्होने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी से अभिलेख मांग कर अब तक की गयी कार्रवाई से अवगत होंगे। बैठक आयोजन की तिथि एक सप्ताह में सुचित कर दी जायेगी।

ज्ञात हो कि विगत पांच वर्षों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन चल रहा है। उस समय से लेकर आज तक प्रशासन की पहल से टाटा स्टील के अधिकारियों एवं विस्थापित प्रतिनिधियों के बीच 18 दौर की त्रिपक्षीय वार्ता हो चुकी है। इस क्रम में कई समस्यायें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई और वह निष्कर्ष तक पहुंच गया है। अब इस पर सिर्फ निर्णय लेना बाकी रह गया है। पिछले वर्ष जब 13-17 फरवरी 2012 को अनिश्चितकालिन अनशन हुआ था तब अनुमंडलाधिकारी के असवाशन पर अनशन स्थगित किया गया था। लेकिन दुःख की बात है कि लगभग एक वर्ष बीतने के बावजूद टाटा स्टील एवं प्रशासन की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं रही है, जिसकी वजह से

मामला टलता जा रहा है।

इस परिस्थिति में डिमना बांध के विस्थापितों ने पुनः एक बार ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना दिया।

**हमारी मांगें**

- टिस्को अतिक्रमित 102 एकड़ जमीन की क्षतिपूर्ति दी जाय।
- डिमना बांध में अन-अधिग्रहित 3.84 एकड़ जमीन के फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति दी जाय, उसे मुक्त किया जाय या कानूनी व्यवस्था की जाय।
- डिमना बांध के विस्थापितों को बकाया मुआवजा, नौकरी तथा पुनर्वास का हक दिया जाय।
- टाटा कंपनी द्वारा विस्थापित परिवारों को डिमना बांध के पानी के उपयोगिता मूल्य तथा लाभांश का आधा हिस्सा दिया जाय।
- डिमना बांध में नौका विहार एवं मछली पालन का अधिकार विस्थापितों के समूह को दिया जाय।
- टाटा कंपनी के कर्मचारियों की तरह विस्थापित परिवारों को भी चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा दी जाए।
- डिमना बांध के किनारे अमरी पौधे की झाड़ियों को नियमित रूप से साफ किया जाये।
- डिमना बांध के किनारे-किनारे लिफ्ट एरीगेशन द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाय।
- कॉरपॉरेट सामाजिक दायित्व के तहत डूब प्रभावित क्षेत्र में ग्रामसभा की सहमति से विकास कार्य किया जाय।
- लायलम एवं बोंटा पंचायत को पूर्ववत पटमदा प्रखंड में रखा जाय।
- वनाधिकार कानून को शीघ्रता से लागू किया जाय।

धरने के समर्थन में जनमुक्ति वाहिनी के अरविंद अंजुम, मंथन और दिलीप कुमार, विस्थापन विरोधी एकता मंच के कुमार चंद्र मार्डी, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कृष्णा हांसदा, गम्हरिया में प्रस्तावित एयरपोर्ट विरोधी आंदोलन के प्रतिनिधि परमेश्वर हेम्ब्रम, शंकर मार्डी, नव जनवादी लोक मंच के डॉ. राम कविन्दर, छात्र-युवा संघर्ष वाहिनी के विश्वनाथ, ईश्वर चन्द्र, दिलीप, झामुवा के मदन मोहन, कुमार दिलीप, कपूर बागी, भोला सिंह मुंडा, बबलू मुर्मू, देवेन सिंह, हाकिम महतो, सुपाई हांसदा, पावर्ती रानी सिंह, बेदनी महतो, शान्ति सिंह, मिठून, ललित मुंडा, लखु, गनेश शर्मा एवं नसर फिरदौसी उपस्थित हुए। इसके अलावा डिमना बांध के विस्थापित महिलाएं व पुरूष सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए।

# रद्द हों जिंदल व भूषण स्टील के एमओयू

*पोटका प्रखंड के ग्रामीणों ने 18 जुलाई 2013 को विस्थापन विरोधी एकता मंच के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर जिंदल व भूषण स्टील एवं पावर लिमिटेड का एमओयू रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में रोलाडीह, सरमंदा, जूड़ी, सामर साई, खड़िया साई, पोड़ा भूमरी, बड़ा सिगदी, हेंसलबिल, चांदपुर, बींगबुरु आदि गांवों के लोग शामिल थे। ग्रामीणों ने मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।*

*एकता मंच में भूमि रक्षा वाहिनी किसान मोर्चा, खुंटकटी रैयत भूमि सुरक्षा संघर्ष समिति पोटका, भूमि रक्षा संघर्ष समिति घोटीडुबा आसनबनी, भूमि सुरक्षा समिति कालिकापुर, गांव गणराज्य परिषद पोटका और भूमि बचाओ समिति पोटका के कार्यकर्ता शामिल थे।*

*उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में मांग की गई है कि भूषण और जिंदल के साथ हुए एमओयू को रद्द किया जाए व पोटका में भूमि सर्वेक्षण का सर्वे सेटलमेंट किया जाए। सीएनटी एक्ट, पेसा और पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाए। लिखा है कि पोटका अंचल कार्यालय गांवों की गैरमजरूआ आम और खास जमीनों के हस्तांतरण की अनुशंसा कर रहा है। यह अनुशंसा जनविरोधी है। इस क्षेत्र में सीएनटी एक्ट लागू है और इसके तहत एसटी की जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकती है। पोटका इलाका संविधान की अनुच्छेद 224 (1) की पांचवीं अनुसूची के तहत आता है। इलाके के प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रामीणों का एकाधिकार है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई फैसला लेना ठीक नहीं है। ग्रामीण इन कंपनियों को जमीन देने का विरोध 2005 से कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। विस्थापन विरोधी एकता मंच द्वारा राज्यपाल को दिया गया ज्ञापन :*

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल, राँची, झारखण्ड
द्वारा
उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

विषयः पोटका प्रखण्ड के अन्तर्गत आसनबनी पंचायत में जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड का एम.ओ.यू. को रद्द करके गैरकानूनी रूप से जमीन बिक्री पर रोक लगाना।

महाशय,

हम आसनबनी, धातकीडीह, वीरग्राम, वीरधा, दिगारसाई, लालमोहनपुर, घोटीडूबा, कुदापाल, खमारडीह, तिलामुडा आदि ग्रामों के प्रतिनिधि कई बार अपनी जमीन की सुरक्षा की मांग को लेकर आपके कार्यालय में आ चुके हैं। एक बार फिर हम आपके पास इस अपेक्षा के साथ आये हैं कि आपका न्याय-विवके और विधान-बोध जगेगा और आप जिंदल के कारखाने के लिए ग्रामीण द्वारा उपयोग और कृषि उपयोग की भूमि को गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक तरीके से लेने की कोशिश को बंद करेंगे।

पोटका अंचल कार्यालय द्वारा गैरमजरूआ आम और गैरमजरूआ खास जमीन के हस्तान्तरण की अनुशंसा पूरी तरह से जन विरोधी है। गैरमजरूआ आम, आम जनजीवन के उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि होती है। जब तक उस भूमि का उपयोग कर रहे गांव और ग्रामीण वहां मौजूद हैं, तब तक उसे किसी अन्य काम के लिए लिया ही नहीं जा सकता - यही न्याय की भावना का निष्कर्ष है, संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निष्कर्ष है। गैरमजरूआ खास जमीन का आकलन भी गलत है। यह 1964 के भूमि सर्वेक्षण के आधार पर किया गया है। तब से आज तक भूमि की स्थिति बदली है। अंचल या अन्य सरकारी स्तर से भी गैरमजरूआ खास जमीन भूमिहीनों को आवंटित की गयी है। रैयतों ने कठोर श्रम से जमीन को खेती लायक बनाया है। कई परिवारों की जिंदगी इस भूमि पर कृषि के जरिये चलती है। इस भूमि की अद्यतन स्थिति सरजमीन और भूमि आवंटन के कागजातों को जाने-समझे बिना उसकी अनुशंसा कर देना पूरी तरह कानून-विरोधी हैं

जिंदल के कारखाने के लिए येन-केन प्रकारेण लुका-छिपी कर भूमि खरीदने की कोशिशें चलती रही हैं। इसमें कई धांधली की घटनाओं को हमने उजागर भी किया है। आपके कार्यालय की अनदेखी में खरीद-बिक्री का यह खेल चल

ही नहीं सकता। इस क्षेत्र में सी.एन.टी. एक्ट लागू है और हाईकोर्ट के आदेश के जरिये जाहिर हो गया है कि झारखण्ड की सूचीबद्ध पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों की जमीन भी सामान्य रूप से नहीं खरीदी जा सकती। सी.एन.टी. एक्ट का पालन आपकी वैधानिक प्रशासनिक जिम्मेवारी है। इस कारण जमीन खरीदने की कोशिशों पर पाबन्दी और निगरानी होनी चाहिए। भूमि की वासतविक स्वामित्व स्थिति प्रामाणिक रूप से जाने बगैर किसी भी भूमि-खरीद को होने देना जिम्मेवारी का उल्लंघन है।

हमारा यह क्षेत्र संविधान की अनुच्छेद 224(1) पांचवीं सूची के अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहां पेसा कानून लागू है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों पर एक खास तरह का अधिकार ग्रामीणों को हासिल हैं ग्रामीणों की राय जाने बिना या ग्राम सभा के परामर्श के बिना कोई भी फैसला लेना पेसा कानून के प्रावधान और भावना के खिलाफ है। जाहिर है ग्राम सभा और गांव की सामूहिक राय या ग्रामीण बहुमत का पालन अनुसूचित क्षेत्र के तमाम किस्म के प्रशासनिक अधिकारियों, खास तौर पर भूमि और योजना से जुड़े अधिकारियों का दायित्व है।

2005 से लेकर अब तक पचासों बार ज्ञापन, धरना, जुलूस, सभा आदि के माध्यम से अंचल से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक हम अपनी बात कह चुके हैं।

हम सबने स्पष्ट तौर पर बताया है कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर नया सर्वे सेटलमेन्ट बने, जमीन की अद्यतन स्थिति का आकलन कर रैयतों को खातियान उपलब्ध कराये, वास्तविक उत्तराधिकारी का नाम दर्ज करे।

हम बता चुके हैं कि हमें बड़े उद्योग, विस्थापन और पुनर्वास का चक्र मंजूर नहीं। सरकार को कुछ करना है तो कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास की योजनाओं पर हमसे बात कर हमारी सहमति से कार्य करें।

हम कह चुक हैं कि कृषि का विकल्प उद्योग कभी नहीं हो सकता। खेती पीढ़ी-दर-पीढ़ी हमें जीवन की बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराती है। दुनिया अनाज खाती है, खनिज नहीं। खेती खत्म कर उद्वोग बैठाना हमें मंजूर नहीं। जमीन संसाधन है सम्पत्ति नहीं। जमीन जरूरतमंदों के जीवन के लिए है, दौलतमंदों की अमानुषिक भूख को पूरा करने के लिए नहीं।

अपेक्षा है कि आप मानवीयता, लोकतंत्र, न्याय और कानून की बुनियादी बातों को समझेंगे। वाजिब जनाकांक्षा और जनमत का सम्मान करेंगे। किसानों और गरीबों, मेहनतकशों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति बरतेंगे। अब तो यह जगजाहिर है कि भूषण और उसके जैसे कई उद्योगपतियों ने सिर्फ घोटालों के लिए कोयला-खनिज-जमीन और पैसा लूटने के लिए ही उद्योगों का गन्दा धंधा चला रखा है। उम्मीद है अब आप जिंदल जैसे लुटेरे-बेइमानों को सहयोग और संरक्षण नहीं देंगे।

**इसी उम्मीद के साथ हमारी मांगें हैं-**

- जिंदल के साथ हुए एम.ओ.यू. को रद्द करने की अनुशंसा करें। भूषण के साथ हुए तमाम एम.ओ.यू. को रद्द करें।
- पूरे पोटका में नया भूमि सर्वेक्षण ''सर्वे सेटलमेंट'' किया जाय। वास्तविक भूमि मालिकों और उनके अधिकारियों को दर्ज किया जाय।
- नये सर्वे सेटलमेंट तक जमीन के किसी भी नये कृषि उपयोग, भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाय।
- सी.एन.टी. एक्ट, पेसा और पांचपीं अनुसूची के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जा। ढील देनेवाले और उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों को बर्खास्त किया जाय।
- गैरमजरूआ भूमि आवंटन की अनुशंसा वापस ली जाय या रद्द किया जाय। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के किसी भी प्रस्ताव को अमान्य किया जाय।
- पूरे पोटका प्रखण्ड के गांव में समुचित सिंचाई का प्रबंध किया जाय।
- तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी के लिए चिकित्सा के समुचित व्यवस्था की जाय।

**विश्वासभाजन,**

* विस्थापन विरोधी एकता मंच, कोल्हान प्रमण्डल, झारखंड
* खुंटकट्टी रैयत भूमि सुरक्षा संघर्ष समिति, पोटका
* आसनबनी पंचायत
* गांव गणराज्य परिषद, पोटका
* भूमि रक्षा वाहिनी किसान मोर्चा
* भूमि रक्षा संघर्ष समिति, घोटीडुबा * * *
* भूमि सुरक्षा समिति, कालिकापुर
* भूमि बचाओ समिति, पोटका

# मध्य प्रदेश

## महान जंगल पर लागू हो वनाधिकार कानून: महान संघर्ष समिति

मध्य प्रदेश के अमिलिया (सिंगरौली), में महान संघर्ष समिति द्वारा  वन अधिकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कुल ग्यारह गांवों के ग्रामीणों ने एकजुट हो अपने जंगल को कोयला खदान में न बदलने देने का संकल्प लिया। सम्मेलन में आए लोगों ने एक स्वर में वनाधिकार अधिनियम के तहत अपने जंगल पर अधिकार लेने संबंधी घोषणा पत्र को पारित किया। नियामगिरी में ग्रामसभा की सफलता से प्रेरित और केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री के.सी देव से दिल्ली में मुलाकात के बाद उत्साहित महान संघर्ष समिति ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि वे कोयला खदान के खिलाफ लड़ाई में साथ दें। जनसंघर्ष मोर्चा के साथियों ने महान संघर्ष समिति का समर्थन करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का विकास का पूरा मॉडल असफल हो चुका है। चाहे कोयले से बिजली बनने वाली हो या परमाणु से बिजली उत्पादित किया जाय। यह सब सिर्फ प्रदेश के संसाधन की लूट ही साबित हुई है। इस विकास के मॉडल पर पूर्नविचार करने की जरुरत है।

महान संघर्ष समिति के सदस्य और अमिलिया गांव निवासी बेचनलाल ने कहा कि हमलोगों को खुशी है कि इतने सारे लोग अपने जंगल-जमीन को बचाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं।

गौरतलब है कि 19 जुलाई को एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन में केन्द्रीय जनजातीय मंत्री के.सी देव ने मध्यप्रदेश सरकार की वनाधिकार कानून के उल्लंघन के लिए निंदा की थी। उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि अमिलिया ग्राम सभा में पारित उस प्रस्ताव की जांच की जाएगी, जिसमें खदान के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गयी। आरटीआई की मदद से निकाले गए उस प्रस्ताव की कॉपी से पता चला है कि उसमें ज्यादातर हस्ताक्षर फर्जी हैं और कई हस्ताक्षरित नाम के लोगों का निधन भी हो चुका है।

सम्मेलन में पारित महान घोषणा पत्र को  महान संघर्ष समिति के विरेन्द्र सिंह ने उपस्थित लोगों के साथ साझा किया। इसमें सर्वसम्मति से घोषित किया गया कि महान जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने पुरुखों के जंगल-जमीन को नहीं छोड़ेगे और किसी भी कीमत पर उसका सौदा नहीं करेंगे।

सम्मेलन में भाग लेने आए जनसंघर्ष मोर्चा की ओर से समाजवादी जनपरिषद के सुनील भाई, जागृत दलित-आदिवासी संगठन की माधुरी बहन, बालचीन भाई, नसरी बाई, श्रमिक आदिवासी संगठन से मंगल सिंह व अनुराग मोदी, आदिवासी एकता मंच से ध्रुव, जनचेतना मंच रायगढ़ के राजेश जी, माइंस मिनरल्स एंड पीपल

# चुटका: घुप्प अंधियारे में रोशनी का खेल

*चुटका ने सत्ताधारियों को पुनः जतला दिया है कि अब उनकी चुटकी बजाते ही आदिवासी व अन्य वंचित समुदाय घुटने नहीं टेक देंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विरुद्ध संघर्षरत चुटका (मंडला-मध्यप्रदेश) के नागरिकों को देशभर से मिले जनसमर्थन ने उनके हौसले और बुलंद किए हैं। परमाणु ऊर्जा को लेकर सरकार की व्यग्रता भी समझ के परे है। हर बार जनसुनवाई के इंतजार के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं और नतीजा सिफर! प्रशांत कुमार*

चुटका परमाणु विद्युत परियोजना को लेकर सरकारी महकमे, सम्बंधित कंपनी, उसके कर्मचारी और कथित रूप से पढ़ा-लिखा एक वर्ग जानना चाहता है कि सिरफिरे आदिवासी आखिर विकास क्यों नहीं चाहते? रोजगार और विकास की आने वाली बाढ़ की अनदेखी कर ये अपने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हैं? भारत सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति अहसानमंद होने के बजाए ये लोग उल्टा सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं?

मध्यप्रदेश के मंडला जिले में दो चरणों में 1400 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने वाली इस परियोजना की योजना सन् 1984 में बनी थी। इसकी आरंभिक लागत 14 हजार करोड़ रुपए तथा इस हेतु 2500 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। अक्टूबर 2009 से केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। सरकार इसे 2800 मेगावाट तक विस्तारित करना चाहती है और जिसके चलते 40 गांवों को खाली कराना होगा। इस परियोजना के निर्माण का ठेका परमाणु विद्युत कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आगे हम इसे कम्पनी कहेंगे) को दिया गया है। सरकार का कहना है इससे स्थानीय लोगों व आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। यह एक सस्ती और बढ़िया पद्धति है। इतना ही नहीं विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को भारत का परमाणु बिजली निगम मुआवजा देगा।

यह बातें तो अनजान शहरी वर्ग को और इस परियोजना के पक्ष में खड़े लोगों को आकर्षित करती हैं। वैसे ठेठ निरक्षर आदिवासी लोग इसके पीछे छिपे उस अप्रत्यक्ष कुचक्र की बात कर रहे हैं। जिसके विषय में ना ही कोई सरकारी व्यक्ति और ना ही कोई सरकारी रिपोर्ट बात कर रही है। आदिवासियों का मानना है कि जब हमारे पास ऊर्जा के दूसरे, सस्ते और नुकसान रहित विकल्प मौजूद हैं तो फिर सरकार आंख मूंदकर परमाणु उर्जा के पीछे क्यों भाग रही है।

आदिवासी जान गए हैं कि परमाणु बिजलीघर से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक विकिरणीय कचरा पैदा होता है। यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा निकलने के बाद जो अवशेष बचता है वह 2.4 लाख साल तक तीव्र रेडियोधर्मिता युक्त बना रहता है। दुनिया में इस कचरे के सुरक्षित निष्पादन की आज तक कोई भी कारगर तकनीक विकसित नहीं हो पाई है। यदि इसे धरती के भीतर गाड़ा जाता है जो यह भू-जल को प्रदूषित और विकिरणयुक्त बना देता है। उनका सवाल है, रूस के चेर्नोबिल और जापान में फुकोशिमा जैसे गंभीर हादसों के बाद तथा अमेरिका जैसे परमाणु उर्जा के सबसे बड़े हिमायती देश द्वारा भविष्य में कोई भी नया परमाणु विद्युत संयत्र लगाने का फैसला तथा पिछले पिछले चार दशकों में अब तक 110 से ज्यादा परमाणु बिजली घर बंद करने के बाद भी हमारी सरकार परमाणु ऊर्जा के प्रति इतनी लालायित क्यों है?

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के शुरू होने से भारत में अब तक 300 से भी ज्यादा दुघर्टनाएं हो चुकी हैं। लेकिन सरकार ने कभी इनके पूरे प्रभावों के बारे देश की जनता को कुछ नहीं बताया। हमारे यहां झारखंड की जादुगुड़ा खान से यूरेनियम निकाला जाता है। वहां भी विकिरण के चलते लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने और मरने तक की रिपोर्ट हैं। चुटका परमाणु संघर्ष समिति के लोग रावतभाटा और अन्य संयत्रों का अध्ययन करने के बाद जान पाए कि इन संयत्रों के आसपास कैसे जनजीवन प्रभावित हुआ है। संपूर्ण क्रांति विद्यालय बेडछी, सूरत की रिपोर्ट तो और आंख खोल देती है। रिपोर्ट

के मुताबिक परमाणु संयंत्रों के आसपास के गांवों में जन्मजात विकलांगता बढ़ी है, प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है, निसंतानों की संख्या बड़ी है, मृत और विकलांग बच्चों का जन्म होना, गर्भपात और पहले दिन ही होने वाली नवजात की मौतें बढ़ी है। हड्डी का कैंसर, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, लम्बी अवधि तक बुखार, असाध्य त्वचा रोग, आंखों के रोग, कमजोरी और पाचन तंत्र में गड़बड़ी आदि शिकायतों में वृद्धि हुई है।

परमाणु विरोधी राष्ट्रीय मोर्चा, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक, डॉ. सौम्या दत्ता बताते हैं कि कैसे इस परियोजना को लेकर भी सरकार और कम्पनी ने कदम-कदम पर झूठ बोला है या बहुत सारी बातों और चिंताओं को सार्वजनिक नहीं किया है। अव्वल तो यही कि कंपनी के निर्देशों के अनुसार परमाणु विद्युत परियोजनाओं को भूकंप संवेदी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जा सकता है। फिर भी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) नागपुर द्वारा तैयार जिस रिपोर्ट पर जन-सुनवाई रखी गई थी, उस रिपोर्ट में भूकंप की दृष्टि से उक्त क्षेत्र के अतिसंवेदनशील होने के तथ्य को छुपाया गया है, जबकि मध्यप्रदेश सरकार की आपदा प्रबंधन संस्था, भोपाल द्वारा मंडला और जबलपुर को अतिसंवेदनशील भूकंपसंवेदी क्षेत्र घोषित किया है। उल्लेखनीय है कि 22 मई, 1997 को इसी क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का भूकम्प आ चुका है, जिससे सिवनी, जबलपुर और मण्डला में अनेक मकान ध्वस्त हुए और अनेक मौतें भी हुई थीं। दूसरा तथ्य जो सार्वजनिक नहीं किया गया है वह यह कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) के अनुसार परमाणु बिजलीघर में 6 घनमीटर प्रति मेगावाट प्रति घंटा पानी लगता है। इसका अर्थ है कि चुटका परमाणु बिजलीघर से 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 7 करोड़ 25 लाख 76 हजार घनमीटर पानी प्रति वर्ष आवश्यक होगा। यह पानी नर्मदा पर बने बड़े बांधों में से एक बरगी बांध से लिया जाएगा! बरगी बांध के दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका उपयोग केवल कृषि कार्यों और 105 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए ही होगा, तो फिर यह पानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कैसे जाएगा?

परमाणु संयंत्र से निकलने वाली भाप और संयंत्र को ठंडा करने के लिए काम में आने वाले पानी में रेडियोधर्मी विकिरण युक्त तत्व शामिल हो जाते है। भारत में अधिकांश परमाणु विद्युत परियोजनाएं समुद्र के किनारे स्थित हैं, जिनसे निकलने वाले विकिरण युक्त प्रदूषण का असर समुद्र में जाता है किन्तु चुटका परमाणु संयंत्र का रिसाव बरगी जलाशय में ही होगा। विकिरण युक्त इस जल का दुष्प्रभाव मध्यप्रदेश एवं गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बसे अनेक शहर और गांववासियों पर पड़ेगा, क्योंकि वहां की जलापूर्ति नर्मदा नदी से ही होती है। इससे जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा भी है।

मध्यप्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति कहती है कि लोगों के बार-बार विस्थापन पर रोक लगनी चाहिए। चुटका से प्रभावित लोग एक बार बरगी बांध के कारण पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, ऐसे में इन्हें यहां से पुनः विस्थापित करना नीति का ही उल्लंघन है। वैसे भी मंडला जिला पांचवीं अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्र है। पंचायत (अनूसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 - (पेसा कानून) के अंतर्गत ग्रामसभा को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। चुटका, कुंडा और टाटीघाट जैसे गांवों की ग्रामसभा ने पहले ही इस परियोजना का लिखित विरोध कर आपत्ति जताई है, तो फिर उसे नजरंदाज करना क्या संविधान प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है?

सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रामीणों को सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रामीणों को अँधेरे में रखने हेतु परियोजना की 954 पृष्ठों वाली रिपोर्ट सिर्फ अंग्रेजी में प्रकाशित की है और यह भी तकनीकी शब्दावली से भरी पड़ी है। अभी रोजगार दिए जाने जैसे सवालों पर बात नहीं हुई है। जब तक इस परियोजना के लिए कार्यालय/ कालोनी आदि बनेगी, तब तक स्थानीय जनों को मजदूरी वाला काम उपलब्ध कराया जाएगा। खुद कम्पनी के दस्तावेज कहते हैं कि यह एक तकनीकी काम है और जिसके लिए उच्च प्रशिक्षित लोगों की जरुरत होगी ?इस विपरीत दौर में एक राहत की बात यह है कि चुटका में भारी जनदवाब के चलते परमाणु परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट पर की जाने वाली जनसुनवाई को पुनः रद्द कर दिया गया है। जनसुनवाई की आगामी हलचल अब संभवतः विधानसभा चुनावों के बाद ही सुनाई दे।

# चुटका : परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ प्रतिरोध की जीत

31 जुलाई 2013 को मध्यप्रदेश के मंडला जिले में प्रस्तावित चुटका परमाणु बिजली संयंत्र की जनसुनवाई को व्यापक जनविरोध को देखते हुए प्रशासन को दूसरी बार स्थगित करने का फैसला करना पड़ा। जनसुनवाई की तैयारी हो चुकी थी। जनसुनवाई की तैयारी पर करीब 16 लाख रुपया खर्च हो चुका था। लेकिन दो दिन पहले प्रशासन ने इसे एकाएक रद्द करने का निर्णय लिया।

गौरतलब है कि इसके पहले भी 24 मई को जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जन विरोध की आशंका के चलते प्रशासन ने तब भी जनसुनवाई को स्थगित कर दिया था। उस समय भी प्रशासन ने 16 लाख रूपया खर्च किया था। इस बार प्रशासन ने ज्यादा तैयारी की थी। जनसुनवाई का स्थान चुटका से बदलकर 15 कि. मी. दूर मानेगांव में रखा गया था। प्रचार, प्रलोभन आदि का भी खूब प्रयोग किया गया। विरोध में प्रचार कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धमकाने-डराने की भी कोशिश की। पिछली बार विरोध सभा में बरगी जलाशय (जिसके किनारे यह संयंत्र लगेगा) के उस पार सिवनी जिले के गांवों से भी लोग बड़ी संख्या में नाव से आए थे। ये गांव भी चुटका की तरह बरगी बांध से विस्थापित हैं, आदिवासी हैं और इस आन्दोलन को समर्थन दे रहे हैं। इस बार जलाशय में चलने वाली नावों को रोकने की भी असफल कोशिश की गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस परियोजना से सीधे प्रभावित होने वाले (जिनकी जमीन जायेगी) तीनों गांव--चुटका, टाटीघाट और कुंडाकी ग्राम सभाएं सर्वसम्मति से काफी पहले इस परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुकी हैं। यह पांचवी अनुसूची के तहत अधिसूचित आदिवासी इलाका है और पेसा कानून के तहत किसी भी परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।

30 जुलाई को परमाणु बिजलीघर के विरोध में मानेगांव में एक सभा रखी गई थी जो बाद में विजय सभा और जुलूस में बदल गई। इसे समाजकर्मी संदीप पांडे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुलखर सिंह मरकाम, समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील, भाकपा और भाकपा(माले) के पदाधिकारियों, जयंत वर्मा, परमाणु संघर्ष समिति के पदाधिकारियों आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर सजप के अनुराग मोदी, परमाणु निरस्त्रीकरण और शांति गठबंधन (सी एन डी पी) के पी के सुन्दरम, महान कोल फील्ड संघर्ष समिति सिंगरोली की प्रिया पिल्लई आदि भी शामिल हुए।

इस घटना के चार दिन पहले 25-26 जुलाई को अहमदाबाद में परमाणु उर्जा पर एक सम्मेलन में देशभर के वैज्ञानिक, परमाणु उर्जा विरोधी कार्यकर्ता और आंदोलनों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे। वहां एक परमाणु उर्जा पर जन घोषणापत्र जारी किया गया था। इसमें देश के परमाणु बिजली परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी और इसके बारे में कई सवाल खड़े किये गए थे। 29 जुलाई को जबलपुर में एक पत्रकार वार्ता में सजप के सुनील तथा पी के सुन्दरम ने इस घोषणापत्र को जारी किया था। समाजवादी जन परिषद ने चुटका जनसुनवाई को रद्द किए जाने को जनता की जीत बताया है और कहा है कि इससे उन सारे जनसंघर्षों को ताकत मिलेगी जो विनाशकारी परियोजनाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। सीएनडीपी ने मांग की है कि परमाणु बिजली कार्यक्रम आत्मघाती, पागलपन भरा और मूर्खतापूर्ण है, इसे पूरी तरह बंद किया जाना चाहिये। पूरी दुनिया में दो-तीन देशों के अलावा बाकी देश इसे छोड़ रहे हैं।

# परमाणु ऊर्जा पर भारतीय जन-घोषणापत्र

परमाणु ऊर्जा पर भारतीय जनता का यह घोषणापत्र हमारे साझे अनुभवों, संघर्षों और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य को लेकर हमारी साझी दृष्टि का एक दस्तावेज है. ऐसे आन्दोलन भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत से ही होते रहे हैं और केरल जैसी जगहों पर उन्होंने अहम जीतें भी हासिल की हैं.

हाल के दौर में कूडनकुलम(तमिलनाडु), जैतापुर (महाराष्ट्र) ,मीठी विर्दी(गुजरात) ,कोवाडा(आन्ध्र प्रदेश) , गोरखपुर(हरियाणा) ,चुटका(मध्य प्रदेश) और हरिपुर (पश्चिम बंगाल) जैसी जगहों पर लोगों ने परमाणु ऊर्जा कारपोरेशन द्वारा लगाए जा रहे इन जनविरोधी और असुरक्षित परमाणु बिजली संयंत्रों के खिलाफ जुझारू संघर्ष चला रहे हैं. उनके शांतिपूर्ण जनांदोलनों को सरकारी बेरुखी और बर्बर दमन का सामना करना पड़ रहा है. मौजूदा परमाणु संयंत्रों के नजदीक रहने वाले समुदायों ने भी विकिरण रिसाव और इसके हानिप्रद प्रभावों के खिलाफ आवाज उठाई है ,जिन्हें प्रायः प्रशासन द्वारा दबा दिया जाता है. पिछले कुछ समय से इन आन्दोलनों को समाज के व्यापक लोकतांत्रिक तबकों का समर्थन और सहयोग भी मिला है. बुद्धिजीवी, नीति-विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, समाजकर्मी, लेखक ,कलाकार एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने इन आन्दोलनों का साथ दिया है.

आज व्यापक तौर पर परमाणु ऊर्जा को जीवन, जीविका तथा पर्यावरण पर खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण यह है कि इसमें कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले अपरिवर्तनीय विकिरण प्रभावों और विनाशकारी तबाही की संभावना होती है. चेर्नोबिल और उसके बाद जापान में हुई फुकुशिमा दुर्घटना के बाद कई देशों ने परमाणु ऊर्जा पर पुनर्विचार किया है और इसे क्रमशः बंद करने निर्णय लिया है. अपने निहित खतरों ,ऊंची कीमत और गोपनीय चरित्र के यह ऊर्जा हर जगह लोगों के ऊपर बलपूर्वक थोपी जा रही है.

सारे प्रचार और भारी खर्चे के बावजूद, भारत में बिजली की उत्पादन-क्षमता का सिर्फ 3% ही परमाणु ऊर्जा से मिलता है. लेकिन फिर भी भारत इसका विस्तार करने में लगा है, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारत-अमेरिका परमाणु करार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत के लिए छूट हासिल करने हेतु सरकार ने अमेरिका, रूस और फ्रांस इत्यादि देशों से जो वायदे थे, वो अब पूरे करने हैं. इस विस्तार से उन देसी-विदेशी औद्योगिक लॉबियों की भी ताकत बढ़ेगी जो मुनाफे पर नज़र गड़ाए हुए हैं. इससे परमाणु प्रतिष्ठान की सत्ता और प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि होगी और भारत में केंद्रीकृत और ऊर्जा -सघन आर्थिक वृद्धि का एजेंडा और आगे बढ़ेगा।

भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु बिजली अपरिहार्य है ,यह दावा अब सवालों के घेरे में है. परमाणु ऊर्जा की होड़ में हम देश के असली लक्ष्य- विकेन्द्रीकृत, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और समतावादी ढंग से ऊर्जा उत्पादन ,से भटक जाएँगे।

इसका अर्थ यह है कि हम परमाणु ऊर्जा के रास्ते पर जाएं (और जाएं तो कैसे, किन शर्तों पर) या न जाएँ, इस सवाल को सीधे आम जनता के सामने रखा जाना चाहिए।

**हम यह मांग करते हैं कि:**

- सभी प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए.
- इन परियोजनाओं के लिए भूमि-अधिग्रहण भी तुरंत रोका जाए.
- परमाणु ऊर्जा और इसके विकल्पों पर एक खुली राष्ट्रीय बहस का आयोजन किया जाए. सरकार यह स्वीकार करे कि परमाणु ऊर्जा पर हो रहे

सवाल वाजिब और गंभीर हैं.

- सरकार परमाणु ऊर्जा का औचित्य, वांछनीयता, सुरक्षा, पर्यावरणीय मजबूती ,कीमत और इसके दीर्घकालिक प्रभावों की जांच के लिए एक नागरिक आयोग बनाए। इस आयोग में स्वतंत्र विशेषज्ञ, समाज वैज्ञानिक और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं।
- जहां भी नए परमाणु बिजली घर, युरेनियम खनन अथवा परमाणु ईंधन-चक्र से सम्बंधित कोई भी अन्य कारखाना प्रस्तावित हैं, वहाँ प्रारम्भिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए सरकार को स्वतंत्र विशेषज्ञों का समूह गठित करना चाहिये. इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों को स्थानीय लोगों के बीच पूरी पारदर्शिता से साझा किया जाए जिन्हें अपनी सेहत के बारे में सम्पूर्ण और अबाध जानकारी का पूरा हक़ है.
- गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा पर्यावारणीय प्रभाव आकलन की मौजूदा प्रक्रिया बिलकुल स्वीकार्य है. इसमें विकिरण का रिसाव और रेडियोधर्मी कचरे के भंडारण, परिवहन के दौरान जोखिम और दुर्घटना जैसे परमाणु से जुड़े विशिष्ट खतरे शामिल नहीं होना बिलकुल अक्षम्य है. परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी प्रकल्पों के लिए पर्यावारणीय मंज़ूरी की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाना चाहिये तथा इनके लिए व्यापक जन -सुनवाई अनिवार्य की जानी चाहिए जिसमें सभी प्रासंगिक सूचनाओं और दस्तावेजों को साझा किया जाना चाहिए. इसमें परमाणु ऊर्जा से सामान्यतः जुड़े खतरे जैसे विकिरण, रिसाव एवं उत्सर्जन, ताजे पानी जैसी ज़रूरतों की उपलब्धता, पर्यावरण, जीव-जन्तुओं एवं पेड-पौधों पर पडने वाले प्रभाव, दुर्घटना की सम्भावनाओं, कचरे को अलग और भन्डारित करने और निपताने के उपाय, परमाणु से जुड़े सामान के परिवहन से जुड़े खतरे, इन सबसे स्थानीय लोगों को होनेवाले जोखिम तथा उससे निबटने के लिए हुई तैयारियों का विस्तार से वर्णन होना चाहिये. चेर्नोबिल और फुकुशिमा दुर्घटनाओं के आलोक में इन परियोजनाओं से संभावित तौर पर प्रभावित जन-समुदाय की परिभाषा को विस्तृत किया जाना चाहिये.
- स्थानीय लोगों को इस बात का अंतिम अधिकार होना चाहिए कि वे तय कर सकें कि वे अपने इलाके में परमाणु संयंत्र या युरेनियम खनन या अन्य सम्बंधित खतरनाक प्रकल्प लगाना चाहते हैं या नहीं। अभी जो नाटकहोता होता है उसकी जगह पर ढंग से जन-सुनवाई होनी चाहिए जिसका ठीक से प्रचार किया जाना चाहिए। इसका आयोजन स्वतंत्र नागरिक संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए और हर तरह के लोगों को हिस्सा लेने की छूट होनी चाहिए, चाहे वे साधारण नागरिक हों अथवा इस विषय से जुड़े कार्यकर्ता या विशेषज्ञ।
- स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा पूरे परमाणु क्षेत्र की विस्तृत सुरक्षा जांच होनी चाहिये. मौजूदा संयंत्रों और खदानों के सुरक्षा की नियमित अन्तराल के बाद स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा होनी चाहिये.
- प्रशासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों के नेतृत्व में इन परमाणु संयंत्रों के आस-पास लघु एवं मध्यमकालिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों को प्रोत्साहित करना चाहिए और इनके परिणामों को सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिये. एक नागरिक-आधारित विकिरण निगरानी तंत्र परमाणु संयंत्रों के नजदीक गठित होना चाहिएजिसके जिसके लिए सरकार को घोषित तौर पर धन आवंटित करना चाहिये.
- परमाणु क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की सेहत की नियमित जांच होनी चाहिए और इसके परिणामों को साझा करना चाहिये. परमाणु उद्योग में ठेका श्रमिक नहीं लगाए जाने चाहियें क्योंकि ऐसे श्रमिकों की स्वास्थ्य-जांच और निगरानी करना संभव नहीं है.
- सरकार को 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम को हटाकर एक नया क़ानून जल्द बनाना चाहिए जिसमें परमाणु उद्योग में समाज के प्रति पारदर्शिता और हर स्तर पर निर्णय में

सहभागिता सुनिश्चित की जाय.

- परमाणु ऊर्जा नियमन बोर्ड अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असफल रहा है और इसने अपने ही बनाए नियमों का उल्लंघन किया है. इसे परमाणु ऊर्जा विभाग से तुरंत स्वतंत्र किया जाना चाहिए और इसमें ऐसे स्वतंत्र और जवाबदेह अफसर नियुक्त किए जाने चाहिए जो परमाणु उद्योग की निष्पक्ष जांच कर सकें और उस पर नज़र रखें। साथ ही, इसके लिए बजट का प्रावधान पर्यावरण मंत्रालय से किया जाए.
- सूचना के अधिकार क़ानून को परमाणु उद्योग के हर हिस्से पर यथाशीघ्र लागू किया जाए ताकि सरकार सुरक्षा का बहाना बनाकर परमाणु से जुड़ी सूचनाओं से आम जनता को वंचित न रख सके.
- दुर्घटना की स्थिति के लिए व्यापक परामर्श पर आधारित पूरी आबादी खाली करने के प्रावधान सहित विद्युत आपातकालीन योजना तैयार की जानी चाहिए और् उसे उन स्थानीय समुदायों के प्रतिनिधि निकायों से साझा करना चाहिये जिन पर इसका असर पड़ सकता है. इससे सम्बन्धित सभी व्यावहारिक पहलुओं और त्वरित आबादी-निकासी के लिए आवश्यक ढांचों और प्रक्रियाओं के बारे में स्थानीय लोगों को साथ लेकर विमर्श करना चाहिये और् समय समय पर इसके लिए अभ्यास आयोजित करवाना चाहिए ताकि दुर्घटना के स्थिति में आबादी को जल्दी खाली कराया जा सके.
- परमाणु दायित्व कानून( (2010अपने वर्तमान् स्वरूप में दुर्घटना के स्थिति में ज़रूरी पूर्ण् नैतिक जवाबदेही के सिद्धान्त का उल्लन्घन करता है और इसमें तदनुरूप सन्शोधन होना चाहिये. इसके साथ ही मौजूदा कानून में शामिल आपूर्तिकर्ता के दायित्व से अन्य नियमों की आड़ में छेड़छाड़ करने से बाज आना चाहिए.
- भारत के मौजूदा परमाणु संयंत्रों और खदानों के इर्द-गिर्द बसे लोगों को विकिरण् प्रभावों के लिए मुआवजा और् ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं तत्काल मुहैया कराना चाहिए. अभी तो सरकार इन प्रभावों और समस्याओं को मानने से भी इनकार करती है.
- परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों और आन्दोलनों पर देशद्रोह और् अन्य झूठे इल्जामों में लगाए गए मुकदमे तत्काल् वापस लिए जाएं. कूडनकुलम के मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के बावजूद राज्य सरकार ने ये मुकदमे अभी तक नहीं हटाए हैं.

परमाणु ऊर्जा की इन कमजोरियों को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र के लिए समता ,पर्यावरणीय टिकाऊपन और कम खर्च के सिद्धान्तों पर आधारित एक वैकल्पिक नीति तैयार के जानी चाहिए जिसमें ऊर्जा के पारम्परिक और पवन ,सौर ,छोटी पनबिजली जैसे गैर-पारम्परिक स्रोत शामिल हों. अपने लोगों के प्रति सरकार की इतनी न्यूनतम जिम्मेवारी तो बनती ही है. परमाणु ऊर्जा के ईंधन-चक्र के अति-महत्त्वपूर्ण मसले को सिर्फ मुट्ठीभर सरकारी वैज्ञानिकों, अफसरों, उद्योगपतियों और राजनेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.

धन्यवाद

परमाणु निरस्त्रीकरण एवं शान्ति हेतु गठबन्धन (CNDP)
परमाणु ऊर्जा के विरुद्ध जन-आन्दोलन (PMANE)
कोंकण विनाशकारी प्रकल्प विरोधी समिति
लोकायत ,पुणे
समाजवादी जन परिषद्
भारत जन विज्ञान जत्था
अणुमुक्ति
गोरखपुर परमाणु संयंत्र विरोधी समिति
मेजर जनरल सुधीर वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त)
शंकर शर्मा
एम जी देवासहायम
मुथु कृष्णन
रोहित प्रजापति
सरस्वती कवुला
वैशाली पाटिल
कृष्ण कान्त

# जल सत्याग्रह: ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन

**आगे के संघर्ष की घोषणा के साथ इंदिरा सागर प्रभावितों का ऐतिहासिक जल सत्याग्रह समाप्त**

**हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे विस्थापित और लेके रहेंगे अपने अधिकार**

**नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आश्वासनों पर रहेगी निगरानी**

**चुनाव में किसान और मजदूर के अधिकार देने वाला ही पायेगा विस्थापितों का समर्थन**

इंदिरा सागर परियोजना प्रभावितों हजारों महिला पुरूषों द्वारा खंडवा, हरदा व् देवास जिले में 6 जगह गत 15 दिनों से जारी ऐतिहासिक जल सत्याग्रह 15 सितम्बर 2013 को आगे के कड़े संघर्ष की घोषणा के साथ समाप्त कर दिया गया. लोगों ने घोषणा की कि आगामी 15 अक्टूबर के बाद हजारों प्रभावित तीनो जिलों खंडवा, हरदा व देवास में हजारों की संख्या में सडकों पर उतरेंगे. इस बीच अगले 10 दिन में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6 सितम्बर के अनुसार पुनर्वास सम्बंधित सभी समस्याओं की जानकारी “पुनर्वास अधिकार शिविरों” में एकत्र कर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भेजी जाएगी.

सैकड़ों प्रभावितों की उपस्तिथि में हरदा के ग्राम हनिफाबाद में आन्दोलन की वरिष्ठ कार्यकर्ता चित्तरूपा पालित और और ग्राम मालूद में आलोक अग्रवाल ने आगे के संघर्ष की घोषणा की. देवास जिले के ग्राम मेल पिपलिया और खंडवा जिले के ग्राम लछोरा, पिपलानी और नंदाना में चल रहे जल सत्याग्रह सैकड़ों प्रभावितों की उपस्तिथि में आगे के संघर्ष की घोषणा के साथ समाप्त कर दिए गए.

**<u>सरकारी दमन से नहीं रुका सत्याग्रह</u>**

इंदिरा सागर बांध प्रभावितों ने 1 सितम्बर से अपनी पुनर्वास की मांगों को लेकर जल-सत्याग्रह शरू किया. परन्तु सरकार ने इस सत्याग्रह को पुलिस

दमन से तोड़ने का प्रयास किया. पहले दिन ही खंडवा जिले के ग्राम बडखालिया, हरदा जिले के ग्राम उवां और देवास जिले के ग्राम मेल-पिपल्या गावों में धारा 144 लगाकर सैकड़ों प्रभावितों की गिरफ्तारियां की गयीं. तीनों जिलों में यह दौर जारी रहा और आन्दोलन की कार्यकर्ता चित्तरूपा सहित अनेक लोगों को जेल में रखा गया. पर विस्थापित डरने के स्थान पर लगातार 144 तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा का रास्ता अख्तियार करते गए और जल सत्याग्रह फ़ैल कर 6 जगह पहुँच गया, और पुरे उत्साह से जारी रहा.

विस्थापितों की मांग थी कि बांध का जल स्तर 260 मीटर तक लाया जाये, उन्हें जमीन के बदले जमीन और कम से कम 5 एकड़ जमीन दी जाये या उसे खरीदने में मदद की जाये, भूमिहीनों को 2.5 लाख का अनुदान दिया जाये, डूब में प्रभावित लेकिन भू-अर्जन से छुटे घरों व् जमीनों का अधिग्रहण किया जाये, हंडिया नेमावर समेत 41 गावों का बैक वाटर का सर्वे व् अधिग्रहण, जहाँ जमीन डूबी है और घर नहीं डुबा है और लोगों को वहां रहना संभव नहीं है उन घरों का अधिग्रहण किया जाये.

उल्लेखनीय है कि इंदिरा सागर प्रभावितों के भोपाल के जन अधिकार सत्याग्रह और इस जल सत्याग्रह के दौरान आम व्यक्तयों के हितैषी का दावा करने वाले मुख्यमंत्री आन्दोलन के प्रयासों के बावजूद विस्थापितों से एक बार भी नहीं मिले. उत्तराखंड में जाकर बार-बार अपनी संवेदना व्यक्त करने वाले म.प्र. मुख्यमंत्री ने अपने खुद के प्रदेश में हुए इस देश के सबसे बड़े और सबसे बुरे विस्थापन से पीड़ित गरीबों को नहीं मिलकर कर उनकी अवहेलना की है. इसको लेकर जनता में रोष है और यह सरकार पर भारी पड़ेगा.

**शरीर गलने से नहीं डिगा संकल्प:**

जल सत्याग्रह में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया. अनेक जल सत्याग्रहियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. तपती धुप और जलाशय के भरे हुए गंदे पानी में गलती हुई शरीर और बुखार, खुजली आदि विस्थापितों के कड़े संकल्प को डिगा न पाये और 15 दिन तक जल सत्याग्रह पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा.

**सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भेजी जानकारी :**

गत दिनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नर्मदा आन्दोलन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सितम्बर को आदेश दिया था कि आन्दोलन इंदिरा सागर प्रभावितों की पुनर्वास की समस्याओं को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को सौपेगा. इस सन्दर्भ में आन्दोलन के अधिवक्ता के माध्यम से यह विस्तृत जानकारी प्राधिकरण 16 तारीख को प्रस्तुत की जाएगी. आगामी 10 दिनों में पुनर्वास सम्बंधित सभी अन्य समस्याओं की जानकारी "पुनर्वास अधिकार शिविरों" में एकत्र कर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भेजी जाएगी

**नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के आश्वासनों पर रहेगी निगरानी**

म.प्र. सरकार इंदिरा सागर प्रभावितों की जमीन व् भूमिहीनों को 2.5 लाख का अनुदान की मांगों पर कोई ठोस निर्णय न दे सकी. 12 सितम्बर को तीनों जिलों के प्रभावितों का एक प्रतिनिधिमंडल आन्दोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल के साथ नर्मदा घटी विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री रजनीश वैश से मिला. श्री वैश द्वारा प्रभावितों को निम्न आश्वासन दिए गए:

- छुटे हुए घरों के अधिग्रहण के बारे में 18 सितम्बर को आदेश निकाल दिया जायेगा और इन परिवारों को पुनर्वास के लाभ दिए जायेंगे.
- जिन किसानों की जमीन गयी है पर घर नहीं उनका परिक्षण कर अधिग्रहण किया जायेगा. इस प्रकार के इक्षुक किसानों के आवेदन पर करवाई कर उनका अधिग्रहण किया जायेगा.
- सभी सहायक नदियों पर बैक वाटर सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है. इस वर्ष बैक वाटर डूब में आये सभी घरों का अधिग्रहण किया जायेगा.
- टापू बने क्षेत्रों में पुलिया आदि बनाने की प्रकिया तेजी से पूरी की जायेगी.
- सन 1999 के बाद सर्वेक्षण त्रुटी में आयी जमीन के किसानों को विशेष पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा.

इंदिरा सागर प्रभावित सरकार के इन आश्वासनों पर निगरानी रखेंगे और यह जांचा जायेगा कि इनमे से कितने आश्वासनों की पूर्ति होती है.

**<u>अब तेज होगा संघर्ष</u>**

15 दिन के जल सत्याग्रह के बाद अब दुगनी ताकत और संकल्प के साथ इंदिरा सागर के हजारों प्रभावित आगे के संघर्ष की घोषणा कर रहे हैं कि वो देखेंगे की उनकी मांगों पर क्या करवाई की जा रही है और 15 अक्टूबर के बाद डूब प्रभावित तीनों जिलों खंडवा, हरदा और देवास और राजधानी भोपाल में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे. प्रभावितों का कड़ा संकल्प है कि वो कड़े से कड़े संकल्प द्वारा अपने अधिकार लेकर रहेंगे.

आने वाले समय में इंदिरा सागर विस्थापित हजारों की संख्या में जमीन के बदले जमीन मांग के आवेदन शिकायत निवारण प्राधिकरण में प्रस्तुत करेंगे.

**<u>चुनाव में किसान और मजदूर के अधिकार देने वाला ही पायेगा विस्थापितों का समर्थन</u>**

उल्लेखनीय है कि इंदिरा सागर प्रभावित 3 जिलों से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. आगामी चुनाव में इंदिरा सागर के लाखों विस्थापितों उन्ही विधान सभा क्षेत्रों में फैले ये विस्थापित इस हेतु जगह जगह **लोक मंचों** का आयोजन करेंगे.

**<u>मानवीय संघर्ष को समर्थन</u>**

15 दिन चले जल सत्याग्रह को अनेक जन संगठनो व् व्यक्तियों ने समर्थन दिया. देश में अनेक जगह समर्थन में कार्यक्रम किये गए. प्रिंट व द्रश्य मिडिया द्वारा पुरे संघर्ष को संवेदना के साथ प्रस्तुत किया गया, संघर्षशील प्रभावितों की ओर से नर्मदा आन्दोलन सभी का आभार व्यक्त करता है.

उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी पर बन रहे इंदिरा सागर बांध से 254 गावों का देश का सबसे बड़ा और एशिया का दुसरे नंबर का विस्थापन हुआ है. बांध से विस्थापित 50,000 से अधिक परिवारों (3 लाख लोगों) के लिए बनायीं गयी पुनर्वास नीति का उल्लंघन कर एक भी विस्थापित को जमीन नहीं दी गयी, जिस कारण 85% से अधिक किसान मजदूर बन गए और मजदूर बर्बादी की हालत में पहुँच गए. अब येही हजारों परिवार संघर्ष की राह पर बढ़ चले हैं.

## राजस्थान

## नवलगण : किसानों का फैसला, हम ज़मीन नहीं देंगे

सीमेंट कंपनियों के लिए होने वाली भूमि अधिग्रहण के विरोध में चल रहे धरने को तीन साल पूरे होने पर 27 अगस्त 2013 को धरना स्थल पर किसान सभा हुई। सभा से पहले घूमचक्कर से धरना स्थल तक रैली निकाली गई।

रैली के दौरान किसानों ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और जमीन नहीं देने का संकल्प दोहराया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक कैप्टन दीपसिंह शेखावत ने तीन वर्ष के आंदोलन के बारे में जानकारी दी। झारखंड से आए नेता कुमार चंद्र मार्डी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की खनिज संपदा पर किसान व मजदूर का हक है, लेकिन केंद्र सरकार की सरकार इस संपदा को लुटवा रही है। पूंजीपति सरकार के इशारे पर इसे लूट रहे है। जमीन को बचाने के लिए देशभर के किसानों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी, जमीन बिकने वाली वस्तु नहीं है और वह उनकी मां है और उसे कभी नहीं बेचा जाता है।

जन संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामाश्रये यादव ने कहा कि जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे का नारा पूरे देश में फैल गया है, देश में जनता का पेट भरने वाला किसान आज खुद भूखा सो रहा है। पूरे देश में जमीन बचाने की लड़ाई चल रही है। देश की अर्थव्यवस्था किसानों के पैसों से चल रही है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। बिहार के प्रेमनाथ गुप्ता ने कहा कि जब तक देश में पूंजीपतियों का शासन रहेगा तब तक किसान व मजदूरों का शोषण होगा।

चुनाव के समय देश की जनता जाति, शराब व पैसों के चक्कर में आ जाती है। लेकिन अब अपना आदमी चुनकर भेजना होगा। जो किसानों के आंदोलनों में उनका साथ दे। कानपुर के मोना सुर व मीनू सुर ने सरकार को को पूंजीपतियों की दलाल बताया। उन्होंने केंद्र सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। इलाहाबाद के रविंद्र ने कहा कि पूरे देश में जमीन भी नहीं देंगे और जान भी ले लेंगे का नया नारा बुलंद करना होगा। किसान व मजदूर को देश की राजनीति को समझना होगा। संसद में बैठे हुए लोग गलत कृषि नीति बना रहे है। बिहार के रामाशीश गुप्ता, उड़ीसा के कल्याण आनंद, बंगाल से सोमेन दा, उन्नाव के सतपाल, रामचंद्र कुलहरि, योगेश्वर व मो. इस्लाम, प्रेम कंवर व हरकेश बुगालिया ने भी किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर सुभाष बुगालिया, श्रीराम दूत, भागीरथमल वर्मा, श्रीराम डूडी, संजय बासोतिया, सतीश भींचर, श्रीराम दूत, श्रीचंद डूडी, संजेश कुमार मौजूद थे।

सीएम के नाम ज्ञापन किसान सभा के दौरान धरना स्थल पर ही महिलाओं ने एसडीएम डॉ. नरेंद्रसिंह थोरी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अनुसार पांच ग्राम पंचायतों के किसान अपनी जमीन बचाने के लिए पिछले तीन वर्षों से धरने पर बैठे हुए है, आपसे से चार-पांच बार मिल चुके है। रीको अधिकारी भी झूठी रिपोर्ट भेज रहे है।

उम्मीद है अब आप बिड़ला-बगड़ जैसे जुटेरे-बेइमानों को सहयोग और संरक्षण नहीं देंगे।

**खनन माफिया: न्याय के लिए 195 दिन से अनिश्चितकालीन धरना जारी**

राजस्थान के झुंझनू जिले में अवैध खनन का विरोध कर रहे स्वतंत्रता सैनानी ताड़केश्वर शर्मा के पौत्र प्रदीप शर्मा की संदिग्ध मौत को पुलिस ने आत्महत्या करार दिये जाने के विरोध में 19 मार्च 2013 से अनिश्चित कालीन धरना 29 सितम्बर 2013 को 195वें दिन भी जारी है लेकिन प्रशासन ने आज तक खान माफियाओं के विरोध में कोई कार्यवाही नहीं की है. इस हत्या के दोषियों की गिरफ़्तारी, प्रदीप शर्मा हत्याकाण्ड की सीबीआई से जांच कराई जावें, पचेरीकलां पहाड़ों के सभी खनन पट्टे निरस्त कियें जायें। हत्या के साक्ष्य मिटाने वाले पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया जायें की मांग् को लेकर पचेरी कलां गांव में अनिश्चितकालीन धरना जारी है.

## उत्तराखंड: विकास ने लिखी बर्बादी की दास्तान

*मेधा पाटकर पिछले 30 वर्षों से बांधों के निर्माण में हो रही लापरवाही, अवैधानिकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत चेताती रहीं हैं। उत्तराखंड के बाशिंदे भी यह जानते थे और विकास के 'बम' के फटने के टलते रहने पर खर मना रहे थे। लेकिन अंततः विकास का यह 'बम' फटा और परिणाम हमारे सामने है। मेधा जी उत्तराखंड में सहायता पहुंचाने हेतु अपने साथियों के साथ पहुंचीं थीं। प्रस्तुत आलेख इस त्रासदी के कारणों को उभार रहा है।*

हम गांववासियों से घिरे हुए गोविंद घाट में खड़े थे और 50 फिट नीचे 20 मीटर चौड़ी अलकनंदा गड़गड़ाहट के साथ बह रही थी। लोग हमें बता रहे थे कि 16 जून की रात पानी बढ़ने लगा और इसकी कोई उद्घोषणा भी नहीं हुई तो पांडुकेश्वर, गोविंदघाट के ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि नदी का पानी सन् 2012 की तरह पार्किंग स्थलों को छूकर उतर जाएगा। सिक्खों के पावन तीर्थ हेमकुंड साहब व बद्रीनाथ की ओर जाने वाली लगभग 800 गाड़ियां इस पार्किंग में खड़ी थीं। स्थानीय लोगों व बाहरी लोगों द्वारा निर्मित होटलों में बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए थे, यानि प्र्यटन चरम पर था। रात करीब 1.30 पर पानी ने गाड़ियों को छुआ और सुबह 3 बजे बेहिसाब पानी में 3-4 मंजिला होटल भी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सबकुछ एकदम अनपेक्षित।

प्रकृति को पढ़ने वाला स्थानीय समाज अब जान गया है कि इसमें प्रकृति से ज्यादा करामात है जेपी एसोसिएट्स की 300 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जलविद्युत परियोजना की। जब ऊपर से बाढ़ आई तो जेपी ने रात 12 बजे कुछ गेट खोल दिए। यह पानी नीचे गांव में घुसा। बांध वालों ने बिजली से कमाई का नुकसान न हो ऐसा सोचकर गेट फिर बंद कर दिए। लेकिन पानी बांध और गेट (दरवाजे) तोड़कर ''बेहिसाब'' सैलाब जैसा निकल पड़ा। सभी स्थानीय एकमत हैं कि जेपी ने अपने टरबाइन बचाने के लिए यह खेल खेला। सिर्फ एक बार सायरन बजाया और इसके अलावा गांव, घर, होटल, खच्चरों और हजारों-हजार लोगों को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसी कारण  परियोजना का विरोध करने वालों का गुस्सा उबल पड़ा। वैसे भी जे.पी. एसोसिएट्स राजनीतिक दादागिरी के लिए कुख्यात है। मध्यप्रदेश के रीवा में हुआ गोली चालन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरदार सरोवर में जे.पी. ने यूनियन लीडर नकरदास शाह पर जानलेवा हमला किया तथा गुजरात के बांध विस्थापितों के घरों पर भी हमला करवाया था। मैं भी बदनाम जेपी कंपनी को कोसते हुए अंदर ही अंदर सुलग सी रही थी और मेरे दिमाग में उनके द्वारा पहले किए गए कारनामे कौंध रहे थे।

नदी के उस पार 800 खच्चरों के साथ प्र्यटक व पहाड़ी लोग 16 जून से अटके पड़े थे। उन्हें जैसे-तैसे खुराक तो पहुंचा दी गई, लेकिन एक भी पुल अभी तक नहीं बना है। उजड़े स्थानीय नागरिकों के अलावा होटल मालिक से लेकर छोटे दुकानदारों के साथ माटू जनसंगठन के और जनआंदोलन समन्वयक विमल भाई भी धरने पर बैठे थे। हमारे आने की खबर, सेना और बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लग गई थी। उनके दो अधिकारी गोविंद घाट आए। हमने उनसे पूछा कि मात्र 20 मीटर चौड़ी नदी पर क्या रस्सी (रोप) पुल भी नहीं बन सकता था? वहां मौजूद पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने हमें सच बात बता दी, कि आदेश था कि उन्हें सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही ध्यान देना है। मीडिया भी वहीं कैंद्रित था और जैसे सबकुछ राहतभरे ट्रकों पर ही निर्भर था। 15 दिनों से यहां अटके 800 खच्चरों में से 40-50 मर चुके थे और अनेकों बीमार भी थे। अंततः उन्हें निकालने लायक पुल बनाया गया।

उत्तराखंड के पुल और रास्तों की कहानी भी यही त्रासदी बता रही है। इसी के साथ सच्चाई सामने आ रही है कि वर्तमान में बांध, बराज व जलविद्युत परियोजनाओं से भरे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में तो पैदल चलने की ही परंपरा है। लेकिन विकास के शुरू होते ही गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडी के बाद बनी सड़कें धीरे-धीरे लंबे चौड़े राजमार्ग में बदल गई और जैसा नियोजन देशभर में चल रहा है वैसा यहां भी शुरू हो गया। जब मेहनत, हाथ-हथौड़े से यहां रास्ते बनाते थे तो उनकी बात ही अलग थी। छोटे-बड़े पत्थर तो यहां हमेशा ही गिरते रहते थे, लेकिन पहाड़ के पहाड़ जमींदोज नहीं होते थे। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से रोजगार नहीं, भू-स्खलन बड़ा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यात्री तो बाहर निकल गए पर स्थानीय निवासी अब यहां कैसे रहेंगे?

पीपलकोटी के लोगों ने कहा कि हम लोग तो जैसे पलायन करने को ही पैदा हुए हैं। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि विजन 2020 के नाम पर सालभर के लक्ष्यों में सड़क की लंबाई के अलावा और कुछ नहीं होता। बढ़ा-चढ़ा के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। हर दल के अधिकारी को सालभर में 20 कि.मी. सड़क तक बनाने का दबाव होता है। ऐसे में जल्द पूरा करने के लिए ब्लास्टिंग करना जरूरी हो जाता है। इससे बजट भी बढ़ता है और कमाई भी बढ़ती है। सभी लाभ पाने वाले खुश रहते हैं। पीडब्ल्यूडी हो या बार्डर रोड संगठन सब टेंडर निकालने में व्यस्त रहते हैं। गौरतलब है मशीनीकरण से जहां रोजगार कम हुआ है वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की अस्थिरता बढ़ गई है। हमें यात्रा शुरू किए अभी दो घंटे ही बीते थे कि चित्र एकदम से बदल गया। पहाड़ों से पत्थर गिरने से मोटर का आगे का रास्ता बंद हो गया। हम नीचे पत्थर हटा रहे थे तो ऊपर से पहाड़ पत्थर गिरा रहा था। अजीब सी जद्दोजहद हममें और पहाड़ में चल रही थी।

रास्ते का मसला और बांध की समस्या के बीच का संबंध उत्तराखंड जाकर ही समझा जा सकता है। अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों में लाखों टन मलबा गिरा पड़ा है। हिमालय की भुरभुरी मिट्टी ने बाकी सबकुछ मटियामेट करने के अलावा 35 लाख लोगों को बेघरबार भी कर दिया है। लोगों का कहना है कि खेतों में 2 फुट तक सफेद रेत भरी है। इन्हें देखकर लगता है। उत्तराखंड में मानों नदियों का तल ऊपर उठा है और पहाड़ नीचे आ रहे हैं। इसी के साथ हो रहा रेत खनन भी तल को उखाड़ रहा है। उत्तराखंड में हो रहा 50 प्रतिशत रेत खनन अवैध है। इसे किसी भी प्रकार की वैधानिक यहां तक कि पर्यावरणीय मंजूरी भी नहीं है। आपसी लोगों को बाटे गए इन ठेकों में फरवरी 2012 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तक का उल्लंघन हो रहा है। अब तो 5 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का आदेश भी आ गया है। वैसे भी इस प्रक्रिया में निकली गाद फिर नदी में मिल जाती है। हमने देखा कि हादसे के 20 दिन बाद भी मशीनें नदी से गाद निकाल रही थीं।

उत्तराखंड की यह "देवभूमि" आज विचलित है। मुख्य पहाड़ से अलग हुए 20 फुट ऊंचे और 7-8 फिट चौड़े हिस्से देखकर अचंभा होता है और भय भी लगता है। क्या ऐसा पहाड़ फटने या ग्लेशियर के टूटने से हुआ होगा? आवश्यकता इस बात की है कि जलविद्युत परियोजनाओं की बारीकी से पड़ताल हो। यहां जलविद्युत परियोजनाओं की संख्या 650 तक पहुंच गई है। विद्युत यानि विकास, लेकिन इसके दुष्प्रभाव उत्तराखंड से लेकर नर्मदा घाटी तक सब जगह छुपाए गए हैं। अब सोचना होगा कि क्या ये वास्तव में साफ सुथरी योजना है? इसके जंगल और पहाड़ पर प्रभाव भी आंकने हेतु उत्तराखंड की आवश्यकता से कई गुना अधिक बिजली बनाकर क्या सिद्ध किया जा रहा है?
इतना ही नहीं, 25 मेगावाट से कम की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी का, कानूनन आवश्यक न होना भी बड़ी त्रुटि है। इसे दूर करना बेहद जरूरी है।

उत्तराखंड के प्रत्येक संवेदनशील हिस्से में 8 मीटर की चौड़ी सुरंगे 30 कि.मी. तक लाई गई हैं। योजना चाहे कितनी भी छोटी हो वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इस हेतु केरल की 10 मेगावाट की चालाकड़ी परियोजना या उत्तराखंड में स्वयं ही कई उदाहरण सामने आए हैं। 300 मेगावाट की विष्णुप्रयाग बांध की दीवार बह गई अस्सीगंगा जैसी नदी पर बनाई कुछ छोटी परियोजनाएं नष्ट हो गई। एनटीपीसी की 520 मेगावाट वाली योजना भी बर्बादी का शिकार होकर बंद पड़ी है। आज भी पता नहीं चल पाया है कि कितनी परियोजनाओं में कुल कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहां बात सिर्फ आर्थिक हानि तक ही सीमित नहीं है।

आधुनिक विज्ञान, तंत्र ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय विकास का दबाव सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साफ दिखाई दे रहा है। बांध बनाने में बाढ़ की मात्रा का आधार अधिकतम 1000 या कम से कम 100 वर्षों की बाढ़ से होता है और इसी से जलविद्युत परियोजनाओं का नियोजन भी होता है। ऐसा करने का दावा हमारी सरकार व विश्वबैंक दोनों ही करते हैं। नैनीताल में रह रहे एक भूगर्भशास्त्री ने इस दुर्घटना के 20 दिन पहले ही कहा था कि ''आप तो बम पर बसे हुए हैं।'' एक ओर रास्तों का जाल और दूसरी ओर जलविद्युत योजनाओं का जाल बिछाकर सरकार व एडीबी जैसी संस्थाएं बहेलिये जैसा व्यवहार कर हमारा सुंदर व शांत परिवेश हमसे छीन रही है। पूंजी लगाने की जल्दबाजी और उन पर राजनीति करने वाली सरकारें कोई भी समीक्षात्मक कार्य नहीं करतीं। वे उस इलाके की आर्थिक पर्यावरणीय, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान नहीं देती! एडीबी व विश्व बैंक जैसी संस्थाएं एकबार पुनः विशाल जलविद्युत परियोजनाओं के निजीकरण के एजेंडे पर कार्य कर रही हैं। वैसे स्नोडेन के द्वारा की गई पोलखोल से थोड़ा छोटा रूप हमें उत्तराखंड में दिखता है। इन साहूकारों की अपनी नियम और शर्तें यदि बाढ़ में बह भी गई हों तो भी उन्हें पकड़कर पूछना होगा कि यह सब कब और कैसे खत्म होगा।

सारा विश्लेषण, शोध, चर्चा, बहस और लेखन चलता रहेगा। लेकिन उत्तराखंड की जनता जो भुगत रही है, वह देखने-समझने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारी यह यात्रा हमें समझा रही थी कि धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन व्यवसाय में बदलने के क्या परिणाम निकल सकते हैं। पहाड़ पर गिल्डा (टोकरी) लेकर चढ़ने वाली महिला का जीवन व जीविका आज दोनों ही खतरे में हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड की लूट वास्तव में समृद्धि की लूट है। पिछले 20 वर्षों में पर्यटन बढ़ता गया और 70 से 80 प्रतिशत लोग उस पर निर्भर हो गए। मोटर वाहनों ने प्रकृति के नजदीक पैदल पहुंचने की परंपरा नष्ट कर दी। शराब से लेकर हर असामाजिक कृत्य इस देवभूमि में प्रवेश कर गया है। वैसे इस विभीषिका ने चर्चा के बहुत सारे नए आयामों को भी जन्म दिया है।

हमें सोचना होगा कि किस प्रकार ब्लास्टिंग न हो, पहाड़ों में सुरंगे न हों, जलविद्युत परियोजनाएं मर्यादा में रहे, भागीरथी और अलखनंदा, मंदाकिनी को पूर्णतया बांध में न बांध जाए, मलबा नदी में न जाने दें, बाढ़ का पानी समाने के लिए बांधों के जलाशय खाली रखें। पर शासन-प्रशासन ठेकेदार की यह तिकड़ी क्या ऐसा संभव होने देगी?

सब खतरे मोल लेते हुए उत्तराखंड पुनः एक बार नवनिर्माण आंदोलन की राह देख रहा है। बहुत सारे लोग जैसे विमला पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडीप्रसाद भट्ट, एन.डी. जयाल, विमल भाई, सुरेश भाई, वंदना शिवा, रवि चोत्रा, शेखर पाठक व श्रीधरन जैसे लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं। आप भी उत्तराखंड के नवनिर्माण में सहायक हो सकते हैं।

याद रखिए यदि उत्तराखंड बचेगा तो देश बचेगा और शासन द्वारा निर्मित इस विपदा से मानव निर्मित कहकर छुटकारा नहीं पाया जा सकता।

*(साभार: सप्रेस)*

# गुजरात

## गुजरात में परमाणु प्लांट के खिलाफ उठी आवाज

गुजरात में मीठी विर्दी से भावनगर तक हज़ारों किसानों ने सोमवार को मार्च किया और प्रस्तावित परमाणु बिजली परियोजना का विरोध किया। इसी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस के साथ बिना मुआवजे के प्रावधान के व्यावसायिक समझौता करने संबंधी खुलासे पर हाल ही में मीडिया, बुद्धिजीवियों और विपक्षी पार्टियों द्वारा व्यापक विरोध सामने आया। प्रधानमंत्री इस हफ्ते अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं जिसमें वे यह समझौता पूरा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में, मीठी विर्दी के ग्रामीणों का यह प्रदर्शन बहुत मायने रखता है।

ज्ञात रहे कि सौराष्ट्र के मीठीवीरड़ी गांवके पास लगने वाले छह हजार मेगावाट वाले पावर प्लांट को लेकर किसान व ग्रामीणों का कहना है कि इससे आसपास के एक दर्जन से अधिक गांव उजड़ जाएंगे तथा कृषि योग्य भूमि भी बंजर हो जाएगी। गुजरात सरकार ने इस साल के शुरू में प्लांट के लिए जमीन संपादन के लिए आदेश जारी किया था।

अमरीका के साथ भारत के परमाणु करार के बाद गुजरात में परमाणु प्लांट के लिए भावनगर के पास मीठीवीरड़ी गांव को चुना गया। जापान के फुकुशिमा में हुई दुर्घटना के बाद से स्थानीय लोगों को डर है कि यहां पावर प्लांट लगने से जहां दक्षिण गुजरात व सौराष्ट्र को जोड़ने वाली कल्पसर योजना अधर में लटक जाएगी वहीं दुर्घटना की स्थिति में भावनगर शहर तक पर इसका असर हो सकता है। स्थानीय पर्यावरण सुरक्षा समिति के कृष्णकांत भाई बताते हैं कि फिलहाल सरकार 7 गांव खाली करने को कह रही है लेकिन अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन के मुताबिक मीठीवीरडी के आसपास के 15 गांव खाली करने होंगे।

विरोध के बावजूद गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मार्च माह में जनसुनवाई आयोजित की थी ।

सितम्बर के आख़िरी में जब प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, गुजरात में मीठी विर्दी के किसान एक कठिन संघर्ष में लगे हुए थे. अमेरिका की वेस्टिंगहाउस कंपनी से भावनगर जिले में छह परमाणु बिजलीघर लगाने का समझौता करने के लिए प्रधानमंत्री ने उस कंपनी के लिए सारी कानूनी अड़चनें ख़त्म कर उसे हर हालत में ये ठेका देने का फैसला किया है. इसमें न सिर्फ परमाणु कारखाने लगाने से पहले ज़रूरी सुरक्षा-संबंधी जांच पड़ताल और कारखाने की कीमत को नजरअंदाज़ किया जाना शामिल है, बल्कि वेस्टिंगहाउस को मीठी विरदी में किसी दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे से मुक्त करने की भी बात है. विपक्षी पार्टियों और जनांदोलनों ने सरकार के इस को अमेरिकी हितों के सामने भारतीय गरीब लोगों को कुर्बान करने वाला कदम बताया है.

यह अहम सवाल है कि परमाणु उद्योग मुआवजा क़ानून से मुक्ति क्यों चाहता है। देश के संविधान के तहत परमाणु कंपनियों पर भी 'प्रदूषण करने वाला मुआवजा देगा' का सामान्य क़ानून लागू होना चाहिए। लेकिन परमाणु उद्योग में लगी कम्पनियां इस क्षेत्र के लिए लिखित दायित्व क़ानून चाहती हैं जिसमें उनका दायित्व सीमित हो। सामान्य क़ानून को न मानना यह भी साबित करता है कि उन्हें ठीक से पता है कि अन्य दुर्घटनाओं की बजाय परमाणु दुर्घटना से होने वाली आर्थिक क्षति में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। ये कम्पनियां खुलेआम कहती हैं कि अगर उनका दायित्व सीमित नहीं किया गया तो परमाणु उद्योग नहीं चल पाएगा।

इस स्थिति में, परमाणु विरोधी आन्दोलन का यह सवाल वाजिब है कि जब ये कम्पनियां अपने ही उत्पाद पर भरोसा नहीं करती और दुर्घटना की स्थिति के लिए पूरे मुआवजा का वादा तक नहीं कर सकतीं, तो साधारण लोग उनके बिजलीघरों की सुरक्षा के दावे पर अपनी ज़िंदगी और रोजगार क्यों दाँव पर लगाएं?

लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज़ कर सरकार अमेरिका, फ्रास और रूस की कंपनियों से ये समझौते कर रही है और कूडनकुलम, जैतापुर, कोवाडा और मीठी विरदी में असुरक्षित रिएक्टरों के लिए लोगों से उनकी आजीविका, उनके खेत और जंगल छीन रही है. ऐसे में, इन इलाकों के किसानों, आदिवासियों और मछुआरों के सामने संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. 23 सितम्बर को हज़ारों किसानों ने मीठी विरदी से भावनगर मार्च किया और जबरन ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की.

**पोस्को : कर्नाटक में 30,000 करोड़ की परियोजना रद्द**

कर्नाटक के गादाग जिले में पोस्को ने इस्पात कारखाना लगाने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर जून 2010 में किए थे। शुरू से किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा था. विरोध के चलते जुलाई 2011 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रोक दी गई थी।

आख़िरकार पोस्को को 15 जुलाई 2013 को 30,000 करोड़ रुपये अपनी प्रस्तावित इस्पात परियोजना रद्द करनी पड़ी। पोस्को इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक योंग वोन यून ने एक बयान में कहा है, बाजार की परिस्थितियों तथा गादाग में जरूरी भूमि अधिग्रहण में देरी के मद्देनजर हमने कर्नाटक में इस्पात कारखाने के अपने प्रस्ताव को खत्म करने का फैसला किया है।

---

*संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक लोकप्रिय पत्रिका साबित हुई है। जून माह से इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।*

*आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।*

*आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।*

---

**संघर्ष संवाद**

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com